भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2214

31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कलारीचिकित्सा की मान्यता और एकीकरण

2214. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कलारीचिकित्सा (कलारीपयट्टू से जुड़ी पारंपरिक चिकित्सा और मस्कुलोस्केलेटल उपचार की पद्धति) को पारंपरिक चिकित्सा की एक स्वतंत्र या विशेष शाखा के रूप में मान्यता देती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्तमान में आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) रूपरेखा के अंतर्गत कलारीचिकित्सा को औपचारिक रूप से शामिल करने के लिए कोई सक्रिय प्रस्ताव हैं या विशेषज्ञ समितियों द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कलारीचिकित्सा की अनोखी औषधीय और हड्डी रोग संबंधी पद्धतियों का दस्तावेज़ीकरण करने, वैज्ञानिक रूप से मान्य करने और उन्हें संरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का इस प्राचीन ज्ञान प्रणाली को विलुप्त होने से बचाने के लिए कलारीचिकित्सा करने वालों के लिए संस्थागत प्रशिक्षण, प्रमाणन या शोध अनुदान शुरू करने का विचार है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): आयुष मंत्रालय केवल आयुष स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों नामतः "आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी" के विकास और संवर्धन से संबंधित मामलों को देखता है।
